तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-9-22	पत्रावली पेश हुई अपीलान्ट अधिवक्ता उप. अपीलान्ट अधिवक्ता की पुन बहस अपील सुनी गई। बहस समहत पत्रावली की गई पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन करने पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पत्रावली पर अलग लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	[illegible]
	निर्णय	
20-9-22	गंगादेवी बनाम पुष्पाबाई वगैरह 14/अपील/2018 अपीलार्थीगण ने यह अपील ग्राम मोहनपुरा के नामान्तकरण सं. 1004 दिनांक 24-4-2016 के विरुद्ध इस प्रकार पेश की। कि ग्राम मोहनपुरा के आराजी खसरा संख्या 123 रकबा 0.25 हैक्टर अपीलार्थी सं. 1 के पति व अपीलार्थी सं. 2 लगायत 9 के पिता कस्तुरचन्द पुत्र हुक्मा जाति रैगर की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी जिसको बिना किसी सक्षम आदेश के रेस्पोडेन्टस सं. 1 लगायत 3 के पिता डालू व बाबूलाल पिसरान रामचन्द्र के नाम अंकित कर दिया गया। इस गलत प्रविष्टि को दुरुस्त करने के लिए उसने एक दावा न्यायालय हाजा में पेश किया जिसमें आराजी के सम्बन्ध में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति सम्बन्धी स्थगन आदेश होने के बावजूद अपीलार्थीगण ने अपने पिता डालू	

क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु का प्रमाण-पत्र पेश कर नामान्तकरण संख्या 1004 स्वीकृत करवा लिया। इस प्रकार बिना सुनवाई का अवसर दिये व स्थगन के बावजूद रिकॉर्ड में निराधार अंकन होते हुए भी नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। जो कि नियमतः गलत है। इसलिए नामान्तकरण निरस्त किया जावे। या राजाव जमाबन्दी में लाल स्याही से स्थगन सम्बन्धी नोट अंकित किया जावे।
	अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जर्ये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना रेस्पोडेन्ट्स, अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
	अपीलार्थीगण अधिवक्ता की बहस एक तरफा सुनी गई। अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों का दोहराव किया एवं पूर्व न्यायिक दृष्टान्त RLW 2006 (2) RJ पेज नं. 949 व न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी के निर्णय दिनांक 28-1-2019 की छाया प्रति प्रस्तुत किये गये।
	बहस पर मनन कर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया की अपीलाधीन आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी ने प्र० स० 73/08 में दिनांक 7-4-2012 को उभयपक्ष को रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर रखा था। परन्तु पक्षकारान में सरपंच मोहनपुरा को शामिल नहीं किया गया। इस लिए यह निर्णय सरपंच मोहनपुरा पर बाध्यकारी नहीं था। साथ ही यह भी तथ्य है। कि डामू पुत्र रामचन्द्र

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के विरुद्ध न्यायालय राजस्व में विचाराधीन
दुरुस्ती घोषणा सम्बन्धी वाद में उसकी मृत्यु उपरान्त
उसके वारिसानो को कायम मुकाम बनाकर
पक्षकार कायम किया गया होगा/एवं नामान्तकरण
मात्र फिसकल प्रोसिडिंग है। इससे किसी भी
पक्षकार को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है।
इस कारण भी यह नामान्तकरण मूल वाद में
अपीलार्थीगण के हितो को क्षति नही
पहुचाता। एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस
प्रकरण पर चस्पा नही होता है.

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की
जाती है। मूल नामान्तकरण प्रति तहसील कार्यालय
को लौटाई जावे। साथ ही तहसीलदार इन्द्रगढ़
को विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में
जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में अन्तिम न्यायिक
आदेश नही होने की जांच करते हुए पालना
करवाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-9-2022 को
लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी